राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

सी–7–ए, सुल्तान हाउस, सवाई जयसिंह हाईवे, बनिपार्क, जयपुर–302016
फोन नम्बर 0141–4004914 **Website:-** www.rajasthanparamedicalcouncil.org

क्रमांक – काउन्सलिंग / सत्र(2020–21) / 77   दिनांक : 02/07/2021

अंतिम वरीयता सूची

राजस्थान राज्य में राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल से मान्यता / संबद्धता प्राप्त निजी एवं राजकीय महाविद्यालय / संस्थानों में विभिन्न पैरा मेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में सत्र 2020–21 में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश लेने के लिए ऑनलाईन आवेदन–पत्र दिनांक 03.02.2021 से 23.04.2021 तक आमंत्रित किये गये थे। जिसमें प्राप्त आवेदन–पत्रों के आधार पर सत्र 2020–21 में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश लेने के लिए प्रकाशित विज्ञप्ति क्रमांक – 28 दिनांक 28.01.2021 के बिंदु संख्या 8(i) के अनुसार समस्त आवेदनों की आरक्षित श्रेणी अनुसार अतंरिम वरीयता सूची वेबसाईट पर जारी कर आवेदकों से दिनांक 31.05.2021 तक आपत्ति से संबंधित विवरण एक प्रार्थना–पत्र पर लिखकर एवं उसके साथ आपत्ति के निराकरण से संबंधित दस्तावेज लगाकर कौंसिल की ई–मेल आइडी rpmc.helpdesk@gmail.com पर विषय में Objection in Meril List लिखकर प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में दिनांक 31.05.2021 तक ई–मेल आइडी rpmc.helpdesk@gmail.com प्राप्त होने वाली आपत्तियों के निराकरण के लिए दिनांक 14.06.2021 प्रातः 10:00 बजे से 19.06.2021 मध्यरात्रि 11:59 तक ऑनलाईन आवेदन पोर्टल पुनः खोलकर **(केवल अंतरिम वरीयता सूची में आपत्ति दर्ज करवाने वाले विद्यार्थियों के लिए)** विद्यार्थी से अपनी **SSO** आईडी**(जिससे आवेदन किया है)** से लॉगिन कर **HTE** ऑनलाईन पोर्टल पर जाकर अपना अपने आवेदन–पत्र में आपत्ति से संबंधित सुधार कर एवं संबंधित दस्तावेज अपलोड कर आवेदन–पत्र को पुनः फाईनल सबमिट करवाया गया।

आपत्तियों का निस्तारण करने के पश्चात् कुल 10884 प्राप्त आवेदन–पत्रों की प्रकाशित विज्ञप्ति क्रमांक – 28 दिनांक 28.01.2021 के बिंदु संख्या 8(i) के अनुसार अंतिम वरीयता सूची प्रकाशित की जा रही हैं। वेबसाईट पर प्रकाशित अंतिम वरीयता सूची पर अगर किसी भी आवेदक को कोई भी आपत्ति है तो वह अपनी आपत्ति से संबंधित विवरण एक प्रार्थना–पत्र पर लिखकर एवं उसके साथ आपत्ति के निराकरण से संबंधित दस्तावेज लगाकर तय दिनांक 09.07.2021 शुक्रवार तक कौंसिल में व्यक्तिशः उपस्थित होकर आपत्ति का निराकरण करवा सकता है।

आवेदन–पत्र में सुधार के लिए तय दिनांक तक अगर कोई अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होता है तो पूर्व में भरा गया आवेदन–पत्र ही स्वीकार कर काउन्सलिंग कर दी जायेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।

रजिस्ट्रार